


230

337

पक्षकारों एवं  
आदि के हस्ताक्षर

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर, कैम्प रोड, म०प्र०



R5381-1116

R301-

1- श्री चन्द्रिका प्रसाद कुशवाहा तनय श्री हरीलाल कुशवाहा

2- श्री अयोध्या प्रसाद कुशवाहा तनय श्री हरीलाल कुशवाहा

3- श्री राम प्रसाद कुशवाहा तनय स्व. नन्दलाल कुशवाहा ,

सभी निवासी ग्राम सरसवाह राजा, तहसील व जिला सिंगरौली म०प्र०

:--- निगरानी कर्ता गण

अति. श्री संपूर्ण  
डा. अ. अ. अ.  
30-8-16रजस्व मण्डल म०प्र०  
(सर्टिफिकेट कोर्ट) ग्वालियर

बनाम

बलराम कुशवाहा तनय स्व. रामसुन्दर कुशवाहा

१- रामलाल पिता रामसुन्दर कुशवाहा

२- राजाराम,

३- भागीरथी

४- सत्यनारायण

५- आत्माराम पिता भगवानदास

६- रामेश्वर

७- किष्मत्तिया पत्नी स्व. भगवानदास

८- रामबरन पिता धरमसुख वैस

९- हरिलाल वगै. पिता जगदेश

१०- लाले कुशवाहा वगै. पिता सुदामा कुशवाहा

११- सुशील पिता रामरेखा

१२- जय प्रकाश पिता रमेशकर कुशवाहा

१३- संदीप पिता महादेव कुशवाहा

१४- बृजेश सभी नि. सरसवाह राजा. तह. वजिला सिंगरौली म०प्र०

१५- शासन म०प्र० -

--- गैरनिगरानी कर्ता गण

R. S. S. S. S.


निगरानी विरुद्ध आदेश राजस्व निरीक्षक मण्डल

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक निग.5381-II /2016

जिला-सिंगरौली

चंद्रिका प्रसाद / बलराम कुशवाहा

(1)	(2)	(3)
23.04.19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अनूपदेव पाण्डेय उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, मण्डल बैढ़न, तहसील सिंगरौली के प्रकरण क्रमांक 47/अ-12/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 30.06.2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 10.07.19 को कलेक्टर, जिला सिंगरौली के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">             (बी.एम.शामी),            सदस्य         </p>	(3)